न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।

उपस्थित– फूलचन्द्र कुशवाहा, {एच०जे०एस०} जे.ओ. कोड–UP2712

CNR No– UPGD010013632018

सत्र परीक्षण सं०–57/2018

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोगी।**

प्रति

विलाल उर्फ आलम आयु करीब 35 साल पुत्र कुन्नू निवासी पेरी पोखर खोराषा, थाना को०नगर, जिला गोण्डा।

.....अभियुक्त।

अपराध संख्या–298/2017

धारा–328,380 भा०दं०सं०

थाना– जी.आर.पी., जिला– गोण्डा।

–निर्णय–

1– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे), गोण्डा के उपार्पण आदेश दिनांक 13–10–2017 द्वारा यह प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय में विचारण हेतु उपार्पित होकर प्राप्त हुआ है।

2– वादी मुकदमा नन्दलाल यादव के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दी गयी तहरीर कि अभियुक्त द्वारा आम के जूस में जरिमाकारी औषधि मिलाकर पिलाया और सामान लूट लिया, के संबंध में अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसकी विवेचना के फलस्वरुप न्यायालय में प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर यह प्रकरण प्रजनित हुआ है।

3– अभियोजन कथानक का उल्लेख लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में निम्न शब्दों में है कि प्रार्थी नन्दलाल यादव पुत्र भूमि यादव निवासी ग्राम पथरकट तिलाठी, थाना सौर बाजार जनपद सहरसा राज्य बिहार नौकरी हाल पता जीत सरदार निवासी मकान नं०–25 राजपुरा, तहसील पटियाला, जिला पटियाला राज्य पंजाब उम्र करीब 50 वर्ष का रहने वाला हूँ। मैं पंजाब राज्य में एक वर्ष से नौकरी करता था। मैं और मेरे साथ अजय पुत्र भोला पासवान उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कट्ठी तिलाठी जिला सरहसा व मोतीलाल पोदार पुत्र सीताराम पोदार, रविशंकर कुमार पुत्र सुशील कुमार पुत्रगण हीरालाल पोदार निवासीगण ग्राम हुसैनचक सिमरी, थाना बख्तयारपुर, जिला सहरसा राज्य बिहार जो दिनांक 12.08.2017 को रेलवे स्टेशन जींग राज्य हरियाणा से प्राप्त लगभग 5.00 बजे ट्रेन नं०–15910 अवध आसाम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस–7 सीट नं०–50,51,53,54 में बैठकर अपने घर बिहार के तरफ जा रहा था कि जब ट्रेन गोण्डा स्टेशन पहुंचने से 5–7 किमी पहले 3–4 लड़के डिब्बा में मुझे व मेरे साथ वालों को आम का जूस समय करीब 08.00 बजे से पहले देने लगे तो उसमें से एक ने कहा कि बाबा दूर से आ रहे हो जूस पी लो तब मैं उसके द्वारा दिया गया आम का जूस पी लिया एवं मेरे साथ वालों को भी आम का जूस पिलाया पिते ही मुझे व मेरे साथ वालों को चक्कर आने लगा जब देखा कि जो मुझे जूस पिलाया है वह कहाँ गया। उसी समय मेरा आंख बन्द हो गया। ट्रेन में बैठे हुए यात्री मुझे गोण्डा स्टेशन के प्लेट फार्म नं०–02 पर उतारे जिसे मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और अब मैं ठीक हो गया हूँ। आम का जूस देने वालों व उसके साथियों को पूरी तरह से पहचानता हूँ। उनको देखकर पहचान सकता हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी है उसमें जहरीली जूस पिलाकर

बेहोश कर मेरा काला बैग जिसमें मेरा कपड़ा व उसमें रखा दो–तीन हजार रुपया भी चोरी कर लिया गया एवं मेरे साथ वालों को भी जहरीली जूस पिलाकर समान चोरी कर लिए हैं। पता चला की मेरे साथ वाले भी जिला बस्ती में अस्पताल में भर्ती हैं।

4– इस घटना की सूचना वादी मुकदमा नन्दलाल यादव ने लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना कोतवाली जी.आर.पी., गोण्डा में दिया, जिसके आधार पर थाना जी.आर.पी., जनपद गोण्डा में अपराध सं०–298/2017 पर धारा–328,380 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03 दिनांक 13.08.2017 को समय 18.35 बजे तीन अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुई।

5– विवेचना की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विवेचना में एकत्र किये गये साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त इस्तिखार के विरुद्ध धारा–328,380,411 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त अशोक कश्यप उर्फ रमजानी एवं बिलाल उर्फ आलम के विरुद्ध धारा–328,411 के अन्तर्गत आरोप–पत्र दिनांक 10.09.2017 को न्यायालय में प्रेषित किया।

6– मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोप–पत्र प्राप्त होने पर सम्बंधित मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उसे विचारण हेतु आहूत किया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उसे अभियोजन अभिलेखों की प्रतियां दी गयी तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण आदेश दिनांक 13.10.2017 द्वारा सत्र न्यायालय में विचारण हेतु उपार्पित कर दिया गया।

7– अभियुक्त विलाल उर्फ आलम के निरन्तर अनुपस्थिति के चलते अभियुक्त की पत्रावली अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली सत्र वाद संख्या 300/2017 से दिनांक 22.03.2018 को प्रथक की गयी।

8– दिनांक 25.04.2018 को अभियुक्त विवाल उर्फ आलम के विरुद्ध न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा धारा–328,380 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

9– अभियोजन पक्ष से कुल 3 साक्षी परीक्षित हुए है।

10– इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुई।

11– अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० लिखा गया।

12– अभियुक्त की तरफ से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

13– विद्वान ए०डी०जी०सी०(क्रिमिनल) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन कहानी एवं विवेचना में जो कहानी उभरकर आयी उसे प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष से कुल तीन साक्षी परीक्षित हुए है।

14– अभियोजन साक्षी पीडब्लू –1 नंदलाल यादव ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के सम्बंध में निम्न कथन किया है कि घटना आज से लगभग 5–6 साल पहले की है मैं पंजाब में नौकरी करता था। पंजाब में राजपुरा में रहता था। मेरे साथ अजय, सुशील और उमेश भी थे जो गाड़ी जींद से बिहार को जा रही थी उसी गाड़ी से हम चारों लोग अपने घर जा रहे थे। गोण्डा स्टेशन से पहले करीब 5–6 किलोमीटर पर एक आदमी मुझे जूस पिलाया था वह कह रहा था कि जूस पी लो दूध पी लो। जिसने मुझे जूस पिलाया था। मैं उसे पहचान नहीं पाया था। जूस पीने के बाद मुझे नशा हो गया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया था। मेरे पास एक बैग था उसमें दो–तीन हजार रुपये और कपड़ा लत्ता था। गोण्डा का ही कोई अस्पताल था जिसमें मुझे दवा इलाज के बाद होश आया और मैं ठीक हो गया। मेरा बैग रेलगाड़ी के उसी के बाद गायब हो गया। मेरे साथ जो लोग जो लोग थे उनको भी जूस उसने पिलाया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ठीक होने के बाद में स्टेशन वाले थाने पर गया था। मेरा जो बैग रेलगाड़ी से गायब हुआ था वह काले रंग का था। थाना जीआरपी गोण्डा स्टेशन वाले थाने पर जाकर मैं मुकदमा लिखाया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 14 क/13 जो मूल की छायाप्रति प्रमाणित है जिसकी मूल प्रति एसटी 300/17 राज्य प्रति

इश्तिखार में लगी है को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जिसे मैं थाने पर दिया था तथा उस बने अपने अंगूठे के निशान की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने दरोगा जी को घटना के संबंध में उसी दिन जानकारी दी थी। मेरा सामान जो चोरी हुआ था वह सब काले बैग में था। वह बैग आज मेरे सामने न्यायालय पर लाया गया जो काले रंग का पिट्ठू बैग है जिसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 298/2017 धारा 328, 380,411 आईपीसी थाना जीआरपी गोण्डा अंकित है। प्रस्तुत बैग में नाम अभियुक्त लिखा है जिस दिन मैंने रिपोर्ट लिखाया था उसी दिन यह बैग बरामद हुआ था। स्टेशन पर बरामद हुआ। मुझे पुलिस ने बताया आपका सामान मिल गया है। जिस दिन पुलिस वाले ने सामान बरामद किया था उसी दिन दिखाया था। जो बैग समझ न्यायालय लाया गया उसे मैं पहचानता हूं वह मेरा बैग है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया है। जिसके अंदर मैरून रंग का एक साल निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। एक चार खाने की तौलिया मिला जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। बैग से न्यायालय के समक्ष रुपए 1200 निकला जिसमें दो सौ 2 नोट 500 के तथा दो नोट 100 के हैं जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श –4 वस्तु प्रदर्श –5 डाला गया। सौ रुपये की नोट पर क्रमश वस्तु प्रदर्श –6 व 7 डाला गया। एक कागज की पुड़िया तंबाकू की मिली जिसे गवाह ने कहा कि यह मेरा नहीं है। साक्षी पीडब्लू 01 से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो अभियोजन के कथनाक को झूंठा साबित कर सके।

15– अभियोजन साक्षी पीडब्लू 02 रामबदन मुख्य आरक्षी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 12.08.2017 को मैं जीआरपी थाना गोण्डा में तैनात था। उश दिन थाना प्रभारी के आदेशानुसार पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 298/17 धारा 328,380 आईपीसी थाना जीआरपी गोण्डा विरुद्ध विलाल उर्फ आलम की कायमी मेरे द्वारा की गई थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। चिक एफआईआर शामिल पत्रावली कागज संख्या 14 क/1 लगायत 14 क/2 है जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है को मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी पीडब्लू 02 से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो अभियोजन के कथनाक को झूंठा साबित कर सके।

16– अभियोजन साक्षी पीडब्लू 03 सत्य प्रकाश सिंह कांस्टेबल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 23.08.2017 को एसएचओ अजय श्रीवास्तव व अन्य का० को अपराधियों की तलाश करते हुए रेलवे स्टेशन गोण्डा पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचा था। मुखबिर ने बताया कि जहरखुरानी की घटना/चोरी प्लेटफार्म नंबर 3 पर करते हैं। मुखबिर के इशारा करने पर संदिग्ध को पकड़ा। एक ने नाम अशोक कुमार उर्फ रमजानी व दूसरे ने नाम करीमुल्लाह जरवल रोड बताया। अशोक ने बताया कि उसके हाथ में एल्प्राजोलम है। अशोक कुमार से पूंछने पर बताया कि दो माह पूर्व मैं अपने साथी इस्तिखार के अलावा आलम के साथ मिलकर सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से एक बैग चोरी किये थे जिसमें लगभग 3900 रुपये व कुछ कागजात व कपड़ा इस्तेमाली मिला था। जिसे मैंने व आलम ने आपस में बाट लिया था। पुनः पूंछने पर बताया कि आज से लगभग दस–बारह दिन पूर्व मैं तथा इस्तिखार व आलम मिलकर अवध आसाम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे लोगों को नशीला आमजूस/चाय पिलाकर बेहोश हो जाने पर उसका सामान लेकर चला गया था। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रेन की गयी चोरी की घटना का भी उल्लेख किया गया है। बरामदमाल को कब्जा में लेकर अलग अलग सील मोहर का नमूना मोहर तैयार किया गया तथा फर्द मौके पर लिखी गयी। साक्षी पीडब्लू 03 से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो अभियोजन के कथनाक को झूंठा साबित कर सके।

17– साक्ष्य उपरान्त अभियुक्त का बयान दं०प्र०सं० की धारा–313 के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया।

अपने इस कथन में अभियुक्त ने अभियोजन के सभी आरोपों को सही बताया है तथा अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार करने का कथन किया है।

18– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

19– अभियुक्तगण पर आरोप है कि वे दिनांक 12–08–2017 को समय करीब 08.00 बजे, बहद स्थान चलती ट्रेन 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस, कोच एस–7, सीट नं०–50,51,53,54 गोण्डा रेलवे स्टेशन से 5–7 किमी०, थाना जी.आर.पी., जिला गोण्डा की सीमा में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा नन्दलाल यादव व उसके साथियों को उपहति कारित करने के आशय से आम के जूस में जरिमाकारी औषधि मिलाकर पिलाया गया जिससे वादी मुकदमा व उसके साथियों को चक्कर आने लगा तत्पश्चात उनका सामान चोरी कर लिया।

निष्कर्ष

20– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त विलाल उर्फ आलम के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा धारा–328,380 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त विलाल उर्फ आलम को आरोप अन्तर्गत धारा – 328,380 भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेरे जमानत उपस्थित है। उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

21– पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु बाद भोजनावकाश पेश हो।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक–14.07.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।

J.O. Code- UP2712

बाद भोजनावकाश

22– पत्रावली लंच बाद दण्ड की मात्रा पर सुनने हेतु पेश हुई।

23– अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को दण्ड पर सुना। अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उनका यह प्रथम अपराध है। इसके पूर्व उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अभियुक्त की घर–परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

24– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है जिन्हें कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

25– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त विलाल उर्फ आलम को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

आदेश

26– सिद्धदोष **विलाल उर्फ आलम** को सत्र परीक्षण संख्या 57/2018, मुकदमा अपराध संख्या 298/2017 धारा–328,380 भा०दं०सं० थाना जी०आर०पी०, जिला गोण्डा के अभियोग में निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

(i)– अभियुक्त को धारा 328 भा०दं०सं० के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि व मु० 4,000 रु०

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ii)– अभियुक्त को धारा 380 भा०दं०सं० के आरोप में जेल बितायी गयी अवधि व मु० 3,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

27– सभी सजाएँ साथ–साथ चलेंगी।

28– सिद्धदोष द्वारा जेल में बितायी गई अवधि धारा–468 बी०एन०एस०एस० के अनुसार सजा की अवधि में नियमानुसार समायोजित की जाये।

29– निर्णय की एक प्रति धारा–406 बी०एन०एस०एस० के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

30– निर्णय की एक प्रति सिद्धदोष को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

31– पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक–14.07.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।

J.O. Code- UP2712

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक–14.07.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।

J.O. Code- UP2712